झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 7/वि०शा०/मु०देव०–11–01/2019 ज०सं०– 18/19-20 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक 26-07-2019

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **गोड्डा जिलान्तर्गत सुन्दर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 85.54 करोड़ (रूपये पच्चासी करोड़ चौवन लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन गोड्डा जिलान्तर्गत सुन्दर जलाशय योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 85.54 करोड़ (रूपये पच्चासी करोड़ चौवन लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. सुन्दर जलाशय योजना से दो मुख्य नहर निःसृत है। इसके बाँयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 12.56 कि०मी० (412 चेन) है, जिससे 5 (पाँच) वितरणियाँ क्रमशः कुसुमघाटी, अपरबंधा, सामपुर, बरमसिया एवं बारकोप वितरणी निकलती है तथा इसके दाँयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 19.36 कि०मी० (635 चेन) है, जिससे 4 (चार) वितरणियाँ क्रमशः मेदिनीचक, दहिया, अंजना एवं दिघ्घी वितरणी निकलती है।

4. इस योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 8500 हे० खरीफ तथा 2000 हे० रब्बी है। समुचित रख–रखाव के अभाव में इसके मुख्य नहर एवं वितरण प्रणाली जीर्ण–शीर्ण हो जाने के कारण सृजित सिचाई क्षमता में ह्रास हुआ है। योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता, विगत तीन वर्षो में सिंचाई उपलब्धि एवं पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नवत् है –

			खरीफ (हे०)	रब्बी (हे०)
(i)	रूपांकित सिंचाई क्षमता	—	8500	2000
(ii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	—	3650	2000
(iii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	–	8500 (100%)	2000 (100%)

5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर द्वारा इस योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 8553.63 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए उपलब्ध कराया गया है। जिसके प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl.	Component	Amount (in Rs.)
1	D- Regulator	4275954.70
2	F- CD Works	12755821.04
3	G- Bridges	40927886.61
4	L- Earth work & PCC Lining	595351637.26
5	U- Distributory	30716532.28
	Total :-	**684027831.89**
	Add : GST - 12%	82083339.83
	Total :-	**766111171.72**
	Add : Labour Cess - 1%	7661111.72
	Add : Contingencies - 0.50%	3830555.86
	Total :-	**777602839.29**
	Say :-	**777602839.00**
	Add 10% inhancement for SOR (2019-20) :-	**77760284.00**
	Grand Total :-	**855363123.00**
	Say :-	**Rs. 85.54 crore**

6 इस कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें –

i) योजना के बाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 12.56 कि०मी० (सापिन नदी तक) तक पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

ii) योजना के दाँयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 19.36 कि०मी० तक पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

iii) योजना अन्तर्गत दाँयी मुख्य नहर से निःसृत अंजना, मेदिनीचक, दहिया, दिघ्घी वितरणी एवं भाजपुर वॉटर कोर्स का पुनरूद्धार कार्य।

iv) योजना अन्तर्गत बाँयी मुख्य नहर से निःसृत कुसुमघाटी, अपरबंधा, सामपुर, बरमसिया एवं बारकोप वितरणी का पुनरूद्धार कार्य।

v) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा– CD, HP Culvert, RCC Culvert, Aqueduct, Outlets एवं RCC Bridge का मरम्मति एवं निर्माण कार्य।

vi) योजना के बाँयी मुख्य नहर के चेन सं०– 316 पर बारकोप वितरणी का H.R. Gate का पुनरूद्धार कार्य (यांत्रिक कार्य)।

7 यह पुनरूद्धार कार्य वर्ष 2019–20 में प्रारम्भ कर जून 2022 तक में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

8 कार्य कराने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल एवं मापी एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा की जाँच करा ली जाएगी।

9 पुनरूद्धार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

10 इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच क़र संतुष्ट हो लेंगे।

11 इस योजना पर होने वाला व्यय

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा (विपत्र कोड– 49S-4701-80-800-54-05-45)। इस बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रू० 36000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

12. इस योजना का असैनिक कार्य सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा द्वारा कराया जायेगा। असैनिक कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा होगें तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

13. इस योजना का यांत्रिक कार्य सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, देवघर द्वारा कराया जायेगा। यांत्रिक कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, देवघर होंगे एवं मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

14. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. कार्य के लिये राशि की निकासी गोड्डा कोषागार, गोड्डा से की जायेगी।

16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

17. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

19. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 09.07.2019 के मद सं०–08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

21. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

25.7.19

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः– 7/विoशाo/मुoदेवo–11–01/2019 जoसंo– 18/ 19-20 प्रoस्वीo /राँची, दिनांक 26-07-2019

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 7/विoशाo/मुoदेवo–11–01/2019 जoसंo– 18/19-20 प्रoस्वीo/राँची, दिनांक 26-07-2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 7/विoशाo/मुoदेवo–11–01/2019 जoसंo– 18/19-20 प्रoस्वीo/राँची, दिनांक 26-07-2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल GHAR/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर महगामा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, देवघर/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र0–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 7/विoशाo/मुoदेवo–11–01/2019 जoसंo– 18/19-20 प्रoस्वीo/राँची, दिनांक 26-07-2019

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

26.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 7/विoशाo/मुoदेवo–11–01/2019 जoसंo– 18/19-20 प्रoस्वीo/राँची, दिनांक 26-07-2019

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव